निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1944 (श0)
(सं0 पटना 506) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

8 जुलाई 2022

सं० 7/स्था0–04–16/2019–**11503**/सा0प्र0—परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–66, 1984) की धारा–23 सह पठित धारा–4, 5 एवं 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से, बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2022

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः–**

(1) यह नियमावली बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 के नियम–9(3) का प्रतिस्थापन।**–नियम–9(3) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''न्यायालय उपनियम–1 के अधीन अधिसूचित अधिकृत व्यक्तियों की सूची से, दो परामर्शदाता नियुक्त कर सकेगा।''

3. **बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 के नियम–9(6) का प्रतिस्थापन।**–नियम–9(6) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''परामर्शदाता अथवा इस नियम के उपनियम–03 के अधीन सहायक किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रति मामला सिर्फ 1500/– (एक हजार पाँच सौ) रुपये की रकम मानदेय के रूप में प्रधान न्यायाधीश द्वारा स्वविवेक से विनिश्चित किए जाने वाले समुचित प्रक्रम पर किन्तु किसी भी दशा में निर्णय पारित होने के पूर्व दी जा सकेगी। ऐसा मानदेय समय–समय पर और कम से कम प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद पुनरीक्षणीय होगा।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 506-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in